



बुलन्दशहर पुलिस



OPERATION CONVICTION

छेडछाड व मारपीट करने के 04 आरोपियों को 04-04 वर्ष का कारावास

दिनांक- 14.05.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे "Operation Conviction" के तहत बुलन्दशहर पुलिस व अभियोजन विभाग की समन्वित प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप **थाना औरंगाबाद पर छेडछाड व मारपीट करने के सम्बन्ध में पंजीकृत मु०अ०सं०-03/2018 धारा 147,149,354ए,323,504,506,452,308,34 भदावि के अभियुक्त सोनू पुत्र मजनू, राजकुमार पुत्र कन्हैया, कुलदीप पुत्र रामचन्द्र व छोटी पत्नी राजकुमार निवासीगण ग्राम पौथ थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर को मा०न्याया० एडीजे/एफटीसी-2 जनपद बुलन्दशहर द्वारा 04-04 वर्ष का कारावास तथा सोनू व राजकुमार को 14,500-14,500/- रुपये तथा कुलदीप व छोटी को 13,700-13,700/- रुपये के जुर्माना से दण्डित किया गया।**



श्री कुश कुमार
(ADGC)



नि. श्री यशपाल सिंह
(प्रभारी मॉनीटरिंग सैल)



का० चन्दन
(पैरोकार)



है०का० इमरान
(कोर्ट मोहर्रिर)